न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/70/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/275

अपीलार्थी

श्री पवन कुमार कौशिक,
निवासी–प्लॉट सं. 7, युगल विहार कॉलोनी,
राधा पब्लिक स्कूल के सामने, पोस्ट–गोवर्धन,
जिला–मथुरा (उ.प्र.)–281502

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 14.06.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 28.06.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 05.04.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश अवमानना याचिका (Contempt Petition No. 872/2021) में माननीय राज. उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक: 18.01.2022 की अनुपालना में कुल 07 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर पत्रांक: 1077 दिनांक: 02.05.22 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के बिन्दु सं.01 अंतर्गत असंतुष्टि के कारण पत्र दिनांक: 07.06.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1603–04 दिनांक: 28.06.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम सूचना आवेदन दिनांक: 05.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 1077 दिनांक: 02.05.22 के माध्यम से उनके क्षेत्राधीन संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है, प्रथम अपील के अनुक्रम में भी संबंधित अनुभाग से अपील में आक्षेपित बिन्दु सं. 01 के संबंध में सूचना/जवाब प्राप्त कर इस न्यायालय को जवाब पेश करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत वांछित मिनटशीट व PLPC की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की प्रति जारी किया जाना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बिन्दु सं. (ञ) के अनुसार देय नहीं है।
8. अस्तु, उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 28.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)